अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-19.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	**श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स०** श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स० श्री विजय कुमार मंडल, स०वि०स० श्री राणा रणधीर, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रजनीश कुमार, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० श्री रामविलास कामत, स०वि०स० श्री सुनील कुमार पिंटू, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राज कुमार राय , स०वि०स० श्री राजू तिवारी, स०वि०स०/ श्री राजेश कु० उर्फ बब्लू गुप्ता, स०वि०स० श्री अजीत कुमार, स०वि०स० श्री बैधनाथ प्रसाद, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स० श्री रणधीर कुमार सिंह, स०वि०स० श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० श्री गोपाल कुमार अग्रवाल, स०वि०स० श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स० श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, स०वि०स० श्री उमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स० डॉ० सुनील कुमार, स०वि०स० श्री विनय बिहारी, स०वि०स० श्री अवधेश सिंह, स०वि०स० श्री केदार नाथ सिंह, स०वि०स० श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स०	"मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं की लागत में लगातार वृद्धि जैसे बढ़ते हुए सीमेन्ट, लोहा, बालू एवं मजदूरी में व्यापक वृद्धि होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की जो 04 करोड़ रूपये की राशि है, उसे 08 करोड़ रूपये करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।"	योजना एवं विकास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	**श्रीमती ज्योति देवी, स०वि०स०** श्री रोमित कुमार, स०वि०स० श्रीमती दीपा कुमारी, स०वि०स० श्री उपेन्द्र प्रसाद, स०वि०स० श्री ललन राम, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्रीमती संगीता कुमारी, स०वि०स०	''राज्य के तकनीकी संस्थानों में 'सात निश्चय' के तहत दशकों से कार्यरत अतिथि शिक्षक बिहार के मूल निवासी हैं और आरक्षण नियमों के तहत नियुक्त हुए है । इन्हीं शिक्षकों के बल पर संस्थानों को AICTE से संबद्धता प्राप्त होती रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन्हें 'गेस्ट से होस्ट' बनाने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु इसके विपरीत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा हाल ही में अधिकांश योग्य शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। कई कॉलेजों में M-Tech की पढ़ाई शुरू हुई है तब अनुभवी शिक्षकों को हटाना अतार्किक है अन्य राज्यों और बिहार के ही विश्वविद्यालयों/स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को 60-65 वर्षों तक समायोजित किया जा रहा है तो तकनीकी शिक्षकों के साथ यह भेदभाव क्यों? कई शिक्षकों की उम्र अब प्रतियोगी परीक्षाओं के योग्य नहीं बची है । 2010 से अनवरत सेवा देने वाले इन स्किल्ड शिक्षकों को हटाना उनके साथ अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार है । अतएव वर्ष 2010 से 2024 तक 500 से अधिक अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएँ दे चुके है, इन शिक्षकों को 65 वर्ष तक समायोजन कर पुन: कार्य अनुमति प्रदान करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती हूँ ।''	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-12/2026- 94 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 18.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-12/2026- 94 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 18.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-12/2026- 94 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / योजना एवं विकास विभाग एंव विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-12/2026- 94 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 18.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

(हस्ताक्षर) 18/02/2026